राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. 6/डीडीएमए/कोविड–19/57 दिनांक : 17.04.2020

आदेश

जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्तारक्षरी ने दिल्ली0 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से 14 अप्रैल, 2020 को एक आदेश जारी किया था कि भारत सरकार द्वारा तालाबंदी की अवधि बढ़ाये जाने को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सभी आदेश जिनकी वैधता सिर्फ 14 अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक थी, अब 3 मई, 2020 की मध्य0 रात्रि तक या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगे।

और जबकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यायण मंत्रालय ने दिनांक 14.04.2020 के पत्र के माध्यम से, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उप सचिव के 15.04.2020 के पत्र से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया था, इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी थी कि तालाबंदी की अवधि के दौरान विभिन्नक प्रतिबंधों के कारण तंदुरुस्त स्वैच्छिक रक्तंदाताओं द्वारा रक्तदान न हो पाने से रक्त संग्रह में कमी पर आ रही है।

और जबकि, थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों, गर्भवती महिलाओं और इस अवधि में अन्य आपात कारणों से रक्तनदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वस्थ स्वैंच्छिक रक्तदाताओं से रक्त संग्रह आवश्य्क होता है तालाबंदी के परिणामस्वरूप रक्त और रक्त के घटकों का संग्रह और परिवहन करना एक चुनौती बन गया है और जनसंचार माध्यंम देश के कुछ भागों के रक्त केन्द्रों में रक्त की कमी की खबर दे रहे हैं।

और जबकि, राज्य रक्त संचरण परिषदों ने बड़ी सूझ–बूझ से रक्त दान गतिविधियां जारी रखी हैं और सुरक्षित एवं परीक्षित रक्त का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाये हैंय मगर उन्हें ब्लड मोबाइल वैन और खून को लाने–ले जाने वाले वाहनों के संचालन की अनुमति प्राप्ति करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वैच्छिक रक्तदाताओं को भी डोनर अपाइंटमेंट लैटर के बावजूद निर्धारित रक्तादान तक पहुंचने में मुसीबतें आ रही हैं।

इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य कार्यकारी समिति अध्यक्ष की हैसियत से एतद द्वारा सभी जिला मजिस्ट्रेटों और उनके समकक्ष दिल्ली पुलिस के उपायुक्तों को निर्देश देता है कि वे ब्लड मोबाइल वैन्स तथा ट्रोसपोर्टेशन वैन्सक और स्वैच्छिक रक्ततदाताओं के बेरोकटोक आवागमन में मदद करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ब्ल्ड मोबाइल टीमों की पहचान राज्य रक्त संचरण परिषदों के अनुमति पत्रों और लाइसेंसशुदा रक्त केन्द्रों द्वारा जारी डोनर अपाइंटमेंट लैटर के जरिए की जाए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, दिल्ली।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
3. समस्त जिला उपायुक्ता दिल्ली पुलिस ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
7. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, सरकार।
8. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली।
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
10. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।